सराहनीय कार्य
दिनांक 18.05.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

बैंक में चोरी करने का असफल प्रयास करने वाले मात्र 24 घण्टे में ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध असलहा व चाकू बरामद, पुलिस की सर्तकता से टली थी बडी घटना–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. वीरेन्द्र प्रताप विश्वकर्मा पुत्र रक्षाराम विश्वकर्मा निवासी तिवारीपुरवा बनकसिया शिवरतनसिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. राजेश वर्मा पुत्र राममनि वर्मा निवासी साहूगांव मौजा रानीपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. अरविन्द बरूवार पुत्र स्व0 दीपनारायन नि0 बनकसिया शिवरतनसिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस।
02. 02 अदद नाजायज चाकू।
03. 02 अदद मोटरसाईकिल बिना नं0।
04. एक आक्सीजन गैस सिलेण्डर मय गैस कटर किट।
05. एक छोटा एलपीजी गैस सिलेण्डर।
06. एक इलेक्ट्रिक ग्राइडर मय ब्लेड।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–169/19, धारा 457.380.511 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–76/19, धारा 379 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–171/19, धारा 401.307 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बनाम (वीरेन्द्र प्रताप आदि)
02. मु0अ0सं0–172/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बनाम (वीरेन्द्र प्रताप)
03. मु0अ0सं0–173/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बनाम (राजेश वर्मा)
04. मु0अ0सं0–174/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बनाम (अरविन्द बरूआर)

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15/16.05.2019 की रात्रि थाना धानेपुर क्षेत्र के कस्बा धानेपुर में स्थित सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास करने की घटना प्रकाश में आयी थी जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से स्ट्रांग रूम को काटकर कैश चोरी करने का प्रयास किया था। **परन्तु उसी दौरान गस्त कर रही पीआरवी 3432 के हूटर बजने के कारण अभियुक्त चोरी करने में नाकाम रहे थे।** घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–169/19, धारा 457.380.511 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया और प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए स्वयं के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष धानेपुर, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया था। घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के लिये फील्ड यूनिट व डाग स्क्वायड की भी मदद ली गयी। पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण के फलस्वरूप क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 17.05.2019 को मुखबिर की सूचना पर कोईरीपुर नहर पुलिया के पास से समय 16:30 बजे लगभग मोटर साईकिलों पर सवार तीन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे पुनः थाना धानेपुर क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी को लूटने के इरादे से जा रहे थे। पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि दिनांक 15/16.05.2019 की रात्रि में हम तीनों व्यक्तियों द्वारा कस्बा धानेपुर में स्थित सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक गैस कटर स्ट्रांग रूम को काटकर कैश चोरी करने का प्रयास किया था। पुलिस की गाड़ी के हूटर की आवाज सुनकर सभी सामान व गैस कटर जलता छोड़कर बैंक से भाग गये थे तथा यह भी बताया कि अभियुक्त अरविन्द बरूआर की मॉ का खाता इसी बैंक में होने के कारण हम लोगों द्वारा पिछले डेढ़ माह बैंक की रेकी कर इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। पकड़े गये तीनों अभियुक्तों ने अपने

व्यक्तिगत शौक को पूरा करने के लिये अपराध कारित करना बताया है। अभियुक्तों द्वारा पूर्व में थाना धानेपुर क्षेत्र में चोरी की अन्य घटनाओं को कारित किया जाना भी स्वीकार किया है। अभियुक्तों के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा व 01 जिन्दा कारतूस, 02 अदद नाजायज चाकू , 02 अदद बिना नं0 की मोटर साईकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग के तहत तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नि0 मनोज कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम।
02. थानाध्यक्ष धानेपुर अतुल चतुर्वेदी।
03. उ0नि0 राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल।
04. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार थाना धानेपुर।
05. उ0नि0 आशीष कुमार।
06. उ0नि0 शादाब आलम।
07. हेड का0 विनोद कुमार पाण्डेय।
08. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला स्वाट टीम।
09. का0 अजय कुमार पाण्डेय धानेपुर।
10. का मुलायम यादव स्वाट टीम।
11. का0 राजेन्द्र यादव।
12. का0 अनुज वर्मा।
13. का0 अमित यादव।
14. का0 सतवंत शर्मा।
15. का0 राजू सिंह सर्विलांस सेल।

''पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण के लिये पुलिस टीम को उत्साहवर्द्धन हेतु 10,000–/ व घटना के दौरान गस्त कर रही पीआरवी 3432 के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।''

प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–18.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **08 वाहनों से मु0– 1200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः– पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 30 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

03 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 30 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम नरेश पुत्र साथू नि0 कंचनपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–103/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. संतोष कुमार पुत्र राम गरीब नि0 नकछेद पुरवा जिगना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–186/19, 02. अशोक कुमार पुत्र राम गरीब नि0 नकछेद पुरवा जिगना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–187/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

छपिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के कछुवन बुजुर्ग से लापता हुई नाबालिग लडकियों को 06 घण्टे के अन्दर ढूढकर उनके परिजनो को सुपुर्द किया–

बरामद लड़कियों का नाम पता–

01. प्रियांशु वर्मा पुत्री राम वरन वर्मा उम्र 14 वर्ष।
02. रिंका वर्मा पुत्री आज्ञाराम वर्मा उम्र 15 वर्ष।

संक्षिप्त विवरण–

कल दिनांक 17.05.2019 को रामवरन वर्मा व आज्ञाराम वर्मा नि0गण विलासपुर थाना सहदुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा डायल 100 पर रात्रि 23.30 बजे सूचना दी गई कि मेरी लडकिया प्रियांशु वर्मा व रिंका वर्मा जो पढने के लिए साईकिल से उच्चतर माध्यमिक विधालय कछुवन बुजुर्ग गई थी जो वापस अपने घर नही आयी। इस मामलो को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक श्याम बहादुर सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम बनाकर सर्च आपरेशन किया गया तो रेलवे स्टेशन गोण्डा से रात्रि 04:00 बजे उपरोक्त नाबालिक लडकियों की बरामदगी करा ली गई जो गोण्डा से अयोध्या जाने की फिराक में थी दोनो लडकियों से पुछताछ की गई तो बताया कि हम दोनों मां बाप की डाट से नाराज होकर घर से चली गई थी। प्रभारी निरीक्षक छपिया द्वारा लडकियों को उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी टीम–

01. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह।
02. का0 अरविन्द यादव।
03. का0 पंकज यादव।
04. म0का0 मधुलिका सिंह।